

## अनुमति की शर्तें -1

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल शिडली केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी +  
आवासीय

आवेदन क्रमांक 335 दिनांक 19/11/2020  
 जम्ही विमल किशोर पुरोहित 510 श्री नन्द किशोर पुरोहित  
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 प. 10 = 17/390 चौपासनी  
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश  
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12316/- जमा  
 जरिये रसीद संख्या 9069/2551/2559  
 दिनांक 19/11/2020 को जमा करा दी है ।

23/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

*(Signature)*  
637288017